खाताधारकों ने किया आरबीआइ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन

खाताधारकों की जमा राशि निकालने, घोटाले की जांच की मांग

अर्बन को-आपरेटिव बैंक घोटाला प्रकरण

- बैंक के करीब नौ हजार खाताधारक हैं, जिनकी जमा पूंजी फिलहाल फंसी हुई है
- कई बैंकों के सामने खड़ा हुआ संकट, खाताधारकों ने 'बुद्धि-शुद्धि यज्ञ' कर जताया विरोध

आइटी पार्क स्थित रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बाहर बुद्धि-शुद्धि यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन करते अर्बन को-आपरेटिव बैंक खाताधारक संघर्ष समिति से जुड़े लोग • जागरण

जागरण संवाददाता, देहरादून: अर्बन को-आपरेटिव बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं और खातों से लेन-देन पर लगी रोक के विरोध में मंगलवार को खाताधारकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के आइटी पार्क स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सहस्त्रधारा रोड स्थित परिसर के बाहर खाताधारकों ने 'बुद्धि-शुद्धि यज्ञ' कर बैंक अधिकारियों और नियामक व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी लगाई।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून करीब 53 वर्षों से संचालित हो रहा है, लेकिन 10 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक में लेन-देन पर रोक लगा दी और छह माह में अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए। खाताधारकों का आरोप है कि वर्ष 2013-14 से वित्तीय अनियमितताओं की बात कही जा रही है, लेकिन इतने वर्षों तक इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आई।

खाताधारकों ने आरोप लगाया कि बैंक और नियामक तंत्र के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। उनका कहना है कि बैंक में लगभग 9000 खाताधारक हैं, जिनकी जमा पूंजी फिलहाल फंसी हुई है और कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में खाताधारकों की ओर से आरबीआइ के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि बैंक में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबी-सीआइडी, बैंक आडिट या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। खाताधारकों ने यह भी मांग की कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने सक्षम अधिकारियों को बैंक में तैनात करे, जिससे महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रह सकें और जांच प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने कई खाताधारकों को आंशिक धनराशि निकालने की राहत देने की भी अपील की, ताकि लोगों को तत्काल आर्थिक संकट से कुछ राहत मिल सके।

मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ मुखर

देहरादून: उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का चरणबद्ध आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार कार्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय परिसर के सामने डिप्लोमा इंजीनियरों का जनरलबार धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने शासन से जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 23 मार्च से प्रदेशभर के इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

धरना स्थल पर मौजूद महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा और महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाईं ने कहा कि संगठन की ओर से पहले चरण में ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक समाधान सामने नहीं आया। इसके बाद अब दूसरे चरण में जनरलबार धरनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शासन स्तर पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 23 मार्च से प्रदेशभर के इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में विकास कार्यों और विभागीय कार्यों से जुड़े जनहित प्रभावित होंगे। (जासं)

बिजली कर्मी मुखर, सत्याग्रह और पूर्ण हड़ताल का एलान

- उत्तराखंड के बिजली कर्मियों का ऊर्जा निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन
- इंडस्ट्रियल्टी अमेंडमेंट बिल के विरोध में सामूहिक बहिष्कार

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रस्तावित इंडस्ट्रियल्टी अमेंडमेंट बिल-2026 के विरोध में उत्तराखंड समेत पूरे देश के बिजली अधिकारी और कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर देहरादून में ऊर्जा निगम मुख्यालय सहित राज्य के विभिन्न बिजली संस्थानों में कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन और गेट मीटिंग आयोजित की गई।

मंगलवार को देशव्यापी कार्यक्रम के तहत 'लाइटनिंग एक्शन' के रूप में यह विरोध किया गया। जल विद्युत परियोजनाओं, पावर हाउस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इकाइयों में कार्यरत अनुबंधित और सामान्य पालों के कर्मचारियों ने काम छोड़कर गेट मीटिंग और विरोध सभाएं कीं। देहरादून में आयोजित सभा को अध्यक्ष इंजीनियर कपिलदेव दुबे ने कहा, जबकि संचालन विनोद कवि ने किया। मोर्चा के संयोजक इंजीनियर हक और अध्यक्ष बुद्धसेन सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कर्मचारी संगठनों, किसान संगठनों और उपभोक्ता समूहों द्वारा दिए गए सुझावों और आपत्तियों के बावजूद सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के इस बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी और बिजली क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को डिस्कॉम के निजीकरण से जोड़ना जबरन निजीकरण थोपने जैसा है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के उस निर्णय का भी विरोध किया, जिसमें यूजेवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाओं की भूमि को निजी क्षेत्र को आवंटित करने की बात कही गई है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 27 मार्च को यूपीसीएल मुख्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद छह अप्रैल को यूजेवीएनएल मुख्यालय पर सत्याग्रह और उसके बाद पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया गया है।

दैनिक जागरण रोज पढ़ें रोज जीतें

विचज संख्या: 19

Q1. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते भारत का तेल आयात बिल कितने डालर प्रतिदिन बढ़ सकता है?
A. 8 अरब डालर B. 12 अरब डालर
C. 16 अरब डालर D. 20 अरब डालर

Q2. श्रीलंका ने किसको क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया?
A. गौतम गंभीर B. रिकी पोंटिंग
C. डेरेन सैमी D. वेंकटेश प्रसाद

Q3. नेपाल में किन पार्टी को प्रतिनिधि सभा के चुनाव में बहुमत मिला है?
A. नेपाली कांग्रेस B. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
C. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी D. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी

जवाब भेजने के लिए स्कैन करें

विचज संख्या 18 के सही जवाब: Ans. Q1. (A), Q2. (C), Q3. (C)

विचज 17 के विजेताओं के नाम

चंद्रवीर ••••50947, मेरठ	सलीमी ••••90066, बरेली
मोनिका ••••10386, कानपुर	सलोना ••••85098, मेरठ
नेहा ••••79430, लखनऊ	शशि ••••73094, बरेली
शशांकी ••••27983, मुरादाबाद	शकीला ••••27074, अलीगढ़
शशांकी ••••30408, मुरादाबाद	दीपक ••••6041, फतेहाबाद
शशि ••••93879, कानपुर	किंकी ••••8136, चन्दौसी
सुमन ••••27017, वाराणसी	प्रवीण ••••72087, मथुरा
रोहित ••••64452, अलीगढ़	अजय ••••3080, दिल्ली
सुभाष ••••04695, बीजनौर	संजीव ••••85843, कानपुर
आदित्य ••••08450, बुलंदशहर	नीता ••••73022, प्रयागराज
शंकर ••••35703, गोरखपुर	मुकेश ••••58200, आजमगढ़
गोपाल ••••45299, दिल्ली	आशुतोष ••••58983, बलरामपुर
रोज ••••51542, पटी	प्रमोद ••••23874, फतेहाबाद
अमित ••••24328, नई दिल्ली	वीरेन्द्र ••••31997, लखनऊ
रमेश ••••56209, फतेहपुर	आकाश ••••42784, शाहजहाँपुर

विजेताओं को हार्दिक बधाई

विजेताओं को दैनिक जागरण टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा

सघन अनीमिया रोकथाम एवं पोषण सुदृढ़ीकरण अभियान

07 मार्च – 07 अप्रैल 2026 तक

अभियान के दौरान चिह्नित रक्त अल्पता वाले महिला, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 06 से 59 माह आयु के बच्चों को IFA की टैबलेट एवं IFA सिरप की निःशुल्क खुराक दी जायेगी, तथा संक्रमित महिलाओं को उच्च चिकित्सा संस्थानों में चयनित उपचार निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

गर्भवती महिलाओं हेतु खुराक	गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से 180 दिनों तक प्रतिदिन एक लाल गोली
स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु खुराक	प्रसव के उपरांत 180 दिनों तक प्रतिदिन एक लाल गोली
6 से 59 माह आयु के शिशुओं हेतु खुराक	सप्ताह में दो बार 1 मि.ली. आई.एफ.ए. सिरप की खुराक

अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से अनीमिया की निःशुल्क जांच करायें।

IRON UP ANEMIA DOWN

अधिक जानकारी हेतु आशा कार्यकत्री/ए.एन.एम./सी.एच.ओ. अथवा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 पर सम्पर्क करें।

डॉ. विनीत गोयल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी NHM, जनपद देहरादून
डॉ. मनोज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून
जावेद बेग (I.A.S.), जिलाधिकारी, जनपद देहरादून

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, जनपद देहरादून

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (एआरएमबी), 1, पलटन बाजार, क्लॉक टावर, जिला– देहरादून
ई–मेलः cs8218@pnb.bank.in, मो0 नं0: 9536582435, 9113111048

ई–नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार / बकाया राशि दिनांक / कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार / कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / ईएमडी जमा के अंतिम तिथि / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
	सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) एवं नियम (9) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।					
1	**शाखाः एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणीः** मैसर्स वल्लभ क्रिएशन, पता 1: दुकान का नाम- डव, दुकान संख्या 10/11, मिडो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून, पता 2: मकान संख्या- 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। 2. प्रो0 श्री नमन जैन पुत्र श्री आशु जैन, पता 1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। **गारन्टरः** श्री नीरज जैन, पता1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: सी/ओ मनीषा जैन, शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। पता 3: मकान नं0 59, पूर्वी ज्योति नगर, लोनी रोड, दिल्ली।	बंधक आवासीय सम्पत्ति एम0सी0 नं0 B-XXIV-4736/1 माप क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, खसरा नं0 144, खाता नं0 874/943, जमाबंदी सन् 2007-08, स्थित मौजा तराफ सैदान हदबास्ट नं0 172, स्थित सुंदर नगर, तहसील एवं जिला- लुधियाना। सीमाएँ:- उत्तरः श्री रणजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, दक्षिणः मनीषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्वः रास्ता साइड माप 30 फीट, पश्चिमः प्लॉट नं0 10, साइड माप 30 फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री नमन जैन पुत्र श्री आशु जैन।	25.04.2019 रु0 **2,02,19,681.68** (रूपये दो करोड़ दो लाख उन्नीस हजार छ सौ इक्यासी एवं अड्सठ पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्यय वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.04.2019 से पूर्ण भुगतान तक 21.09.2022 **(भौतिक कब्जा)**	रू0 90,10,000/- रू0 9,01,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
2	**शाखाः एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणीः** मैसर्स वैग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, डारयेक्टर श्री महेश चौहान पुत्र श्री कंचन सिंह चौहान एवं श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश दत्त शर्मा द्वारा, पताः औद्योगिक प्लॉट स्थित खाता नं0 308, खसरा नं0 310, ग्राम-रायपुर परगना एवं तहसील भगवानपुर, जिला- हरिद्वार- 247667, श्री महेश चौहन पुत्र श्री कंचन सिंह चौहान **(डारयेक्टर/गारन्टर)** पताः मकान नं0 2, पीएसी रोड, गोकुलधाम कॉलोनी, सुभाष नगर, हरिद्वार- 249407, **इसके अलावाः** ग्राम एवं पोस्ट- चचैली थाना- जेवर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0- 203207, श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश दत्त शर्मा **(डारयेक्टर/गारन्टर),** मकान नं0 593, दौलत राम कॉलोनी, पोस्ट- दौराला, जिला- मेरठ, उ0प्र0- 250221, **इसके अलावाः** 786, प्लॉट नं0 सी4, आनंद विहार, माखनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार- 247667, श्री विजय चौधरी पुत्र श्री जगदीश सिंह **(गारन्टर)** पताः मकान नं0 231, दक्षिणः सोती गंज, कैंट मेरठ, मेरठ (उ0प्र0)- 250001, **इसके अलावाः** मकान नं0 539, रायपुर, हरिद्वार- 247661, **इसके अलावाः** ए-276, सोती गंज, मेरठ- 250001	फैक्ट्री भूमि एवं भवन कुल माप क्षेत्रफल 1366 वर्ग मीटर, स्थित खाता नं0 263, खसरा नं0 310 मि, ग्राम- रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील- रूड़की, जिला- हरिद्वार, लिज डीड नं0 7164, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रूड़की-1, दिनांक 18.12.2017, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स वैग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, डारयेक्टरः श्री महेश चौहान पुत्र श्री कंचन सिंह चौहान एवं श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश दत्त शर्मा के द्वारा। सीमाएँ:- पूर्वः 25 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः भूमि खसरा नं0 10, उत्तरः भूमि खसरा नं0 309, दक्षिणः भूमि खसरा नं0 310	07.06.2023 (प्रकाशन की तिथि 29.06.2023) रु0 **13,16,49,055.83** (तेरह करोड़ सोलह लाख उन्नचास हजार पच्चपन रूपये एवं तीरासी पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- कानूनी व्यय (यदि कोई हो) दिनांक 01.06.2023 से पूर्ण भुगतान तक 09.02.2024 **(भौतिक कब्जा)** आरसी संख्या 307/2022 दिनाक 07.10.2022 में राशिः रू0 11,19,95,287.80 (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख पिचानबे हजार दो सौ सतासी रूपये एवं अस्सी पैसे) पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज के साथ दिनांक 13.01.2022 से 11.00% वार्षिक साधारण ब्याज पर वसूली और लागत तक रू0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) डीआरटी देहरादून द्वारा जारी	रू0 1,86,00,000/- रू0 18,60,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**
3	**शाखाः एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणीः** मैसर्स मंगल फूड्स (द्वारा पार्टनर के माध्यम से) श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल एंव श्रीमती वनमाला अग्रवाल पत्नी श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल, पंजीकृत पताः 470 सलेमपुर महमूद, रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, **पार्टनरः** श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल, डी-5 सन्देश नगर, कनखल हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249408, श्रीमती वनमाला अग्रवाल पत्नी श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल, डी-5 सन्देश नगर, कनखल हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249408	बंधक भूमि के सभी भाग क्षेत्रफल 0.1025 हैक्टेयर अर्थात् 1025 वर्गमीटर, चक नं. 589, खसरा नं. 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1079, 1080, 1081/5, 1082,1083/2, 1083/3, 1083/4, और निर्माणाधीन बिल्डिग का कवर्ड क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर स्थित ग्राम भगवानपुर आबिदपुर उर्फ इकार परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला देहरादून विक्रय विलेख रजिस्टर्ड बुक नं. 1, जिल्द नं. 2752, पेज नं. 1 से 28 सीरियल नं. 4565 दिनांक 04.06.2016, सब रजिस्ट्रार कार्यालय हरिद्वार-2 सम्पत्ति स्वामी श्रीमती वनमाला पत्नी नारायण प्रसाद के नाम से पंजीकृत। सीमायें- पूर्व नारायण प्रसाद अग्रवाल की भूमि, पश्चिम- ग्राम पंचायत की भूमि, उत्तर- चक रोड, दक्षिण- फैयाज की भूमि।	03.06.2019 रु0 **1,58,31,865.20** (एक करोड़ अठ्ठावन लाख इक्कतीस हजार आठ सौ पैंसठ रूपये बीस पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्यय वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.06.2019 से पूर्ण भुगतान तक 13.02.2020 **(भौतिक कब्जा)**	रू0 70,50,000/- रू0 7,05,000/- **27.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 50,000/-	**27.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**

नियम व शर्तें : 1. बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। 2. नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ है, जैसा है, जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिय किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेही नही होगे। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेबसाइटः **https://baanknet.com/.** 5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट **https://baanknet.com/** पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।

सरफेसी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) एवं नियम (9) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक– 10.03.2026 स्थान– देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक